विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शुक्रवार, 13 मई, 2022/23 बैशाख, 1944 (शक्)

संख्या– 77

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विधान सभा को पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पूर्वी जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

"श्री अमानतुल्लाह खान, विधानसभा सदस्य को सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करने, लोक सेवक को रोकने के लिए आपराधिक बल के प्रयोग, स्वेच्छा से लोक सेवक को चोट पहुँचाने और कालिंदी कुंज थाना, दक्षिण—पूर्वी जिला क्षेत्र के कंचन कुंज में 12/05/2022 को दक्षिण दिल्ली नगर निगम के विध्वंस—सह—सीलिंग कार्यक्रम के दौरान दंगा करने के आरोप में एफ.आई.आर संख्या 246/2022 में आई. पी.सी की धारा 147/148/149/153/186/332/353 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।

जन्हें दिनांक 12/05/2022 को सांय 7.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया और 13/05/2022 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।"

> राज कुमार सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Friday, 13 May, 2022/23, Baishakh, 1944 (Shaka)

No. 77

Sub: DETENTION OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that following message has been received from Deputy Commissioner of Police, South-East District., New Delhi:

"Shri Amanatullah Khan, Member of Legislative Assembly has been arrested for obstructing public servant in discharge of official duty, assault/use of criminal force to deter public servant, voluntarily causing hurt to deter public servant and rioting during demolition-cum-sealing programme of SDMC carried out at Kanchan Kunj falling in the area of P.S. Kalindi Kunj, South-East District on 12.05.2022 in case FIR No. 246/2022, U/s 147/148/149/153/186/332/353 IPC.

He has been taken into police custody at 7.10 P.M. on 12.05.2022 and sent to judicial custody till 13.05.2022."

Raj Kumar Secretary